



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 जून, 2021

ज्येष्ठ 28, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

संख्या 1707/आठ-3-21-01 विविध-2020

लखनऊ, 18 जून, 2021

अधिसूचना

प०आ०-150

चूँकि तत्समय जिला मुरादाबाद के चन्दौसी तहसील के भूमि के अव्यस्थित वितरण, भवनों के अनियोजित निर्माण, निम्न स्तर के उपनिवेशों की बढ़ती को रोकने की दृष्टि से और उपर्युक्त योजना के अनुसार उस क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 (उ०प्र० के अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) की धारा 3 की उपधारा के अधीन अधिसूचना संख्या 2079/9-आ-3-94-8आरए-93 दिनांक 25 नवम्बर 1994 द्वारा विनियमित क्षेत्र चन्दौसी घोषित किया गया था।

चूँकि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र चन्दौसी जनपद संभल द्वारा चन्दौसी, विनियमित क्षेत्र का सीमा विस्तार के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के दृष्टिगत राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि विनियमित क्षेत्र चन्दौसी के समीप/बाहर हो रहे नगरीय विकास को नियोजन की दृष्टि से समायोजित एवं विनियमित करते हुए नियोजित विकास हेतु निम्नलिखित राजस्व ग्रामों को विनियमित क्षेत्र, चन्दौसी में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

अतएव, अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग कर, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जिला संभल में चन्दौसी तहसील के निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित राजस्व ग्रामों को विनियमित क्षेत्र, चन्दौसी में सम्मिलित किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

क्रम-संख्या	राजस्व ग्राम
1	2
1	अकरौली
2	रसूलपुर कैली
3	मानकपुर नरौली
4	आटा
5	नेहटा
6	मंझावली

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।